



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 276 राँची, बुधवार, 6 ज्येष्ठ, 1948 (श०)
27 मई, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

संकल्प

15 मई, 2026

संख्या:-3/आरोप-11-17/2026 का०- 2953--श्री मतियस विजय टोप्पो, सेवानिवृत्त झाप्र०से० (कोटि क्रमांक-863/03) के विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के कार्यावधि से संबंधित इनके विरुद्ध छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71(ए) के परन्तुक-II का दुरुपयोग कर ऐसे कुल-391 मामले, जिनमें 1969 के पूर्व भूमि पर किसी प्रकार के substantial structure नहीं थे एवं 30 वर्षों से कम अवधि के कब्जे वाली भूमि के लिये बिना समुचित जाँच किये आदिवासी भूमि हेतु क्षतिपूर्ति निर्धारित कर भूमि के अवैध हस्तांतरण को विनियमित कर देने संबंधी गठित दो आरोप पत्र में प्रतिवेदित आरोपों पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय संकल्प संख्या-28676(HRMS), दिनांक 30.01.2025 द्वारा श्री टोप्पो को सेवा से बर्खास्त किया गया ।

2. उक्त दण्ड अधिरोपित किये जाने के उपरांत W.P. (S) No.-864/2018 मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में श्री टोप्पो के द्वारा संशोधित रिट याचिका दायर किया गया। उक्त संशोधित रिट याचिका में श्री टोप्पो द्वारा अधिरोपित दण्ड "सेवा से बर्खास्त" को निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

3. W.P.(S) No- 864/2018 मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दिनांक 10.11.2025 को पारित आदेश में श्री टोप्पो के विरुद्ध अधिरोपित सेवा से बर्खास्त करने से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-28676(HRMS), दिनांक 30.01.2025 को निरस्त कर दिया गया।

साथ ही, प्रासंगिक मामला विभाग को वापस करते हुए न्यायादेश में दिये गये निर्देशों के आलोक में झारखण्ड पेंशन नियमावली के तहत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करते हुए छः माह के अंदर आदेश पारित करने का निर्देश दिया गया है।

4. प्रासंगिक मामले में समीक्षोपरांत W.P.(S) No- 864/2018 मतियस विजय टोप्पो बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में दिनांक 10.11.2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में श्री मतियस विजय टोप्पो, तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-28676(HRMS), दिनांक 30.01.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड "सेवा से बर्खास्त" को विलोपित करने तथा श्री टोप्पो के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के तहत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही संचालित करने के निमित्त आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने हेतु उपायुक्त, राँची से अनुरोध करने संबंधी प्रस्ताव को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित किया गया।

5. उक्त निर्णय के आलोक में श्री मतियस विजय टोप्पो, तत्कालीन विशेष विनियमन पदाधिकारी, राँची के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या-28676(HRMS), दिनांक 30.01.2025 द्वारा अधिरोपित दण्ड "सेवा से बर्खास्त" को विभागीय संकल्प सं0-926, दिनांक 17.02.2026 द्वारा विलोपित किया गया है तथा विभागीय पत्रांक-927, दिनांक 17.02.2026 द्वारा उपायुक्त, राँची से श्री मतियस विजय टोप्पो के विरुद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के तहत नये सिरे से पुनः विभागीय कार्यवाही संचालित करने हेतु विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

6. उक्त के आलोक में उपायुक्त, राँची के पत्रांक-77(ii), दिनांक 07.04.2026 एवं पत्रांक-88, दिनांक 30.04.2026 द्वारा श्री मतियस विजय टोप्पो के विरुद्ध नये सिरे से विहित प्रपत्र में आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है।

आरोप पत्र में श्री मतियस विजय टोप्पो के विरुद्ध छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा-71(ए) के परन्तुक-II का दुरुपयोग कर कुल-352 मामलों में नियम विरुद्ध आदेश पारित करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है।

7. श्री मतियस विजय टोप्पो के विरुद्ध गठित आरोप पत्र पर माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

8. अतः समीक्षोपरांत श्री मतियस विजय टोप्पो के विरुद्ध आरोप-पत्र में गठित आरोपों की जाँच हेतु पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

9. तदनुसार एतद् द्वारा श्री मतियस विजय टोप्पो को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

10. श्री मतियस विजय टोप्पो द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल द्वारा श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी. गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

11. श्री मतियस विजय टोप्पो के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

12. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का आदेश प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को राजकीय गजट में प्रकाशित कराया जाय एवं इसकी प्रति (आरोप पत्र एवं साक्ष्य कागजात सहित) श्री मतियस विजय टोप्पो, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० एवं श्री सुनील कुमार, सेवानिवृत्त भा०प्र०से०, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु

सरकार के संयुक्त सचिव।
